

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(7)स्था/मंत्रा/अभि/17/ 3545-70

दिनांक :- 7/3/18

आदेश :-

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के समसंख्यक आदेश क्रमांक 579-670 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत कर आदेश क्रमांक 16-27 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया गया था :-

क्र० स०	कार्मिक का नाम मय पद एवं पूर्व पदस्थापित स्थान	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1.	श्री विनोद कुमार माथुर पुत्र श्री मुकन राज माथुर कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन-नागौर	2017-18	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन-चूरु
2.	श्री गोपाल लाल पुत्र रामेश्वर कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन -नागौर	2017-18	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन-बीकानेर
3.	श्री रामदेव त्रिवेदी पुत्र श्री किशन लाल कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन -जोधपुर	2017-18	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन-पाली

उक्त सभी 3 कार्मिकों द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इन्हे पदोन्नति परित्याग (फोरगो) करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर यथावत रखा जाता है। जिन कार्मिकों को अपने मूल पद से कार्यमुक्त कर दिया है, वे उसी पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, जहाँ से उन्हें कार्यमुक्त किया गया था।

(दिवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.), जोधपुर, बीकानेर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) एवं नागौर, जोधपुर, चूरु, बीकानेर एवं पाली।
5. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

22/3/18
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर